

24.08.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा होने के कारण उक्त उक्त वादी-पत्र खारिज हो चुका है। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थी अजायब सिंह के प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. के फर्द अहकाम पर पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार द्वारा की गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफतर हो

★
सहायक कलक्टर
एवं उपायुक्त
हनुमानगढ़

